

## पूर्वोत्तर रेलवे

### सूचना

समाचार पत्रों में इस रेलवे के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये आई.एन.एस. से मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेन्सियों से दिनांक 30.06.2007 से एक वर्ष के लिये (यह अवधि अगले एक वर्ष के लिये बढ़ाई भी जा सकती है) निम्नलिखित विवरण के साथ मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

### विवरण

1. (अ) एजेन्सी का नाम एवं पता (यदि गोरखपुर में शाखा अथवा उप कार्यालय हो तो दूरभाष/फैक्स संख्या सहित उल्लेख करें।)
  - (ब) प्रेस-विज्ञापन कार्य का अनुभव तथा अन्य रेलों/प्रोडक्शन यूनिटों, अन्य सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग आदि में कार्य किया गया या किया जा रहा है का उल्लेख करें।
  - (स) विज्ञापन के लिये डिजाइन बनाने, फोटो टाइप सेटिंग, आर्ट-पुल आदि के लिये प्रभार यदि कुछ हो।
  - (द) विज्ञापन को स्थानीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिये वांछित न्यूनतम समय।
  - (य) एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत विपत्रों के भुगतान की रेलवे प्रशासन से शर्तें।
2. निम्नलिखित विषयों पर आधारित सजावटी विज्ञापनों के डिजाइन आकार 25X16=400 स्क्वायर से.मी. के नमूने हिन्दी एवं अंग्रेजी में:-
    - (अ) मानव रहित समपार फाटकों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम।
    - (ब) रेल गाड़ियों में यात्रियों के सामानों की चोरी से रोकथाम।
    - (स) रेल गाड़ियों एवं प्लेटफार्मों पर जहरखुरानी की रोकथाम।
    - (द) दलालों द्वारा जाली रेल टिकटों की बिक्री की रोकथाम।
    - (य) रेल गाड़ियों में खतरनाक एवं विस्फोटक सामग्रियों के साथ यात्रा करने की रोकथाम।
    - (र) "रेल-रोको" आन्दोलनों की रोकथाम।
    - (ल) पूर्वोत्तर रेलवे-गौरवपूर्ण सेवायें।
    - (व) पूर्वोत्तर रेलवे पर पर्यटन।

कोटेशन के साथ भेजी गयी डिजाइन किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी तथा पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को यह अधिकार होगा कि उसका जैसा चाहें उपयोग करें।

3. एजेन्सी चुनाव सम्बन्धी यह विज्ञापन सूचना जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित है, उसका न्यूनतम स्थान में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ले आउट तथा ब्रोमाइड।
4. अन्य शर्तें यदि कोई हो जो आई.एन.एस. उपबन्धों के अनुरूप हो।
5. चयनित एजेन्सियों को चयनोपरान्त रेल प्रशासन द्वारा बनाये गये नियमों, शर्तों एवं समय-समय पर जारी किये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
6. कोटेशन के साथ आई.एन.एस. से मान्यता प्राप्त अद्यतन प्रमाण-पत्र, आयकर आदेयता प्रमाण-पत्र, मुहरबन्द लिफाफे में जिसके ऊपर "विज्ञापन एजेन्सी की नियुक्ति के लिये कोटेशन" लिखा हुआ हो, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक 20.06.2007 को 16.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ए.के.सिंह)

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

मुजाधि/विविध-

## **NORTH EASTERN RAILWAY**

### **NOTICE**

Sealed quotations are invited from the Advertising Agencies accredited with Indian Newspaper Society with the following descriptions for empanelment over this Railway for a period of one year from 30-06-2007 for arranging publication of classified and display advertisements in the newspapers. The period can also be extended for a further period of one year on expiry of the term.

#### **DESCRIPTIONS:-**

1.
  - a) Name and address of the advertising Agency (Mention if any branch or sub-office at Gorakhpur with Telephone/Fax No.
  - b) Experience of Press Advertising work mentioning the names of the other zonal Railways/Production units and also other Government Departments, Public Sector undertakings, already served/being served by the agency.
  - c) Charges if any for designing, Photo type setting, Art pull etc. for the Railway Advertisements.
  - d) Minimum time required for publishing the advertisements in local and National Newspapers.
  - e) Conditions of payment of the bills from the Railway Administration.
  
2. Specimen of designs/Layouts in Hindi & English for Display Advertisements on the following subjects (size 25x16=400 Sq. cms)
  - a) Prevention of accidents at unmanned Railway Level Crossing Gates.
  - b) Prevention of theft of luggage in train compartment.
  - c) Prevention of poisoning on trains & platforms.
  - d) Prevention of sale of fake Rly tickets by touts.
  - e) Prevention of carriage of dangerous & explosives during rail journey.
  - f) Prevention of Rail Roko agitations.
  - g) Image building of N.E.Railway highlighting its Glorious Services.
  - h) Tourism of N.E.Railway.

The designs submitted by the agencies will not be returned and North Eastern Railway will have the right to use them.

3. Lay out and bromide of this Advertisement Published in newspapers for empanelment of Advertising Agencies in minimum space in English and Hindi both separately.
4. Other terms and condition if any, subject to provisions and norms of the Indian Newspapers Society.
5. The selected Advertising Agencies will have to strictly follow the terms & conditions laid down by this Railway after final selection and also the instructions given to them from time to time.
6. The quotations along with latest I.N.S. and Income Tax Clearance certificates should be sent in sealed cover duly marked **"QUOTATIONS FOR EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCIES"** to reach the office of the Chief Public Relations Officer, N.E. Railway , Gorakhpur latest by 16.00 hrs. on 20.06.2007 . Late/Delayed Offers will not be entertained.

**CPRO/Misc.**

**(A.K.Singh)**  
Chief Public Relations Officer/Gorakhpur